| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साअधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | कार्तिक 1, बुधवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 23, 2019<br>*Kartika 1, Wednesday, Saka 1941–October 23, 2019* | |


भाग-6(क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान**

आदेश

**जयपुर, अक्टूबर 21, 2019**

**संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/4228:-सां. आ. 126/2019** - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में के नियम 72 सपठित नियम 78(6) के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए गए साधारण या विशिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए सदस्य एवं अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराए जाने हेतु नियम-68 के अधीन सूचना आयोग को प्रेषित करेगा। उक्त नियमों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सदस्य एवं अध्यक्ष के परिणाम संबंधी दस्तावेज आयोग को भिजवाने के संबंध में आदेश क्रमांक 3685 दिनांक 01.10.2019 (सां. आ. 118/2019) से निर्देश जारी किए हुए हैं।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान की अधिसूचना संख्या प.8(**Ga**)( ) **Rules/DLB**/19/33841 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा अध्यक्षीय पदों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से कर दिए जाने के कारण अब नियम 72 सपठित नियम 68 के प्रावधान अध्यक्षीय निर्वाचन के संबंध में लागू नहीं है।

अत: राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व आदेश क्रमांक 3685 दिनांक 01.10.2019 (सां. आ. 118/2019) को अधिक्रमित करते हुए निर्देश जारी करता है कि नियम 72 सपठित नियम 68 के उपबंधों के प्रावधानान्तर्गत सदस्य पदों पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु परिणामों की घोषणा के **तीन दिवस के भीतर** रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार परिणाम संबंधी दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाए जाने हैं :-

1. संलग्न प्रारूप में निर्वाचित सदस्यों की सूचना मय सॉफ्ट कॉपी। (मंगल फॉन्ट एवं MS Word में)
2. प्ररूप 21 (अंतिम परिणाम पत्रक) की एक मूल प्रति।
3. प्ररूप 22 (परिणाम की घोषणा) की एक मूल प्रति।
4. प्ररूप 23 (निर्वाचन का प्रमाण पत्र) की मूल प्राप्ति रसीद।

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम संबंधी दस्तावेज भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त सभी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं मोहर अंकित हो। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उक्त परिणाम संबंधी दस्तावेज आयोग को भिजवा दिए गए हैं।

**आज्ञा से,**

**(श्याम सिंह राजपुरोहित)**

**मुख्य निर्वाचन अधिकारी**

**एवं सचिव**

**कार्यालय नगरपालिका .....**

**क्रमांक** : **दिनांक** :

निर्वाचित सदस्यों की सूचना

**मैं**, ..... **रिटर्निंग अधिकारी**, **नगरपालिका मंडल/नगर परिषद/नगर निगम** ..... **सूचित करता हूॅ कि माह** ..... **में सम्पन्न हुये साधारण/उप निर्वाचन में नगरपालिका मंडल/नगर परिषद/नगर निगम** ..... **के लिये निम्नानुसार सारणी में उल्लिखित सदस्य निर्वाचित घोषित हुये है**:-

**सारणी**

| वार्ड संख्या | आया सामान्य है, या अ.जा.,अ.ज.जा./पिछडे वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित है | निर्वाचित सदस्य का नाम |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| | | |

**स्थान**:-

**दिनांक**:-

हस्ताक्षर व नाम
रिटर्निंग अधिकारी
(पद नाम सहित)
नगरपालिका .....
जिला .....

**क्रमांक** : **दिनांक** :

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है** :-

1. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव**, **राज्य निर्वाचन आयोग**, **राजस्थान**, **जयपुर।**
2. **जिला निर्वाचन अधिकारी** (**कलक्टर**) .....

हस्ताक्षर व नाम
रिटर्निंग अधिकारी
(पद नाम सहित)
नगरपालिका .....
जिला .....

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।